

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/MEMO-109/2020

दिनांक : 26-May-2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान एवं समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/समन्वयक/  
छात्र कल्याण अधिष्ठाता/चीफ प्राक्टर/समस्त वार्डन  
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर।

विषय:- वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 में पत्रांक 1020/सत्तर-3-2020-8(21)/2018 दिनांक 14 मई, 2020 के संलग्न पत्र तथा तदनुक्रम में निर्गत निदेशक(उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/241-45/2020-21 दिनांक 15-05-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई बिन्दुओं पर दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः वृक्षारोपण के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना वांछित है -

- 1- प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान उल्लिखित सत्रों में वृक्षारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने महाविद्यालय में वृक्षारोपण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए वृक्षारोपण हेतु रिक्त भूमि का चयन किया जायेगा तथा साइट प्लान का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि किस वृक्ष के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त रहेगी। यदि आवश्यक हो तो वन/उद्यान विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लिखा जा सकता है।
- 3- वृक्षारोपण हेतु जहाँ आवश्यक हो, मानवीय श्रम से गड्ढे खुदवाने पर विचार किया जा सकता है।
- 4- वृक्षारोपण हेतु जैविक/कम्पोस्ट/देशी खोद की व्यवस्था निकटवर्ती शासकीय गौशाला/गौआश्रय स्थल से की जाय, ताकि पौधों के विकास एवं उनकी जीवितता में वृद्धि सम्भव हो सके।

कमश: ...2...

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/MEMO-109/2020

दिनांक : 26-May-2020

(2)

- 5- प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान निकटवर्ती नर्सरी चिन्हित कर लें और लगाये जाने वाले पौधों का मॉगपत्र तत्काल उन्हें सौंप दें। वृक्षारोपण हेतु फलदार, पर्यावरण के अनुकूल तथा औषधीय पौधे अधिकाधिक रोपित किये जायें। पौधरोपण के पश्चात शासन की नीति के अनुसार जियोटैगिंग का कार्य भी सम्पन्न कराया जाय।
- 6- वृक्षारोपण के कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैंडेट कोर एवं रोवर्स रेंजर्स का सहयोग प्राप्त करें तथा हर पौधे की देखरेख का उत्तरदायित्व एक छात्र/छात्रा को दिया जाय। जिनके पौधे अधिक समय तक जीवित रहते हैं उन्हें महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रोत्साहित किया जाय।
- 7- पेड़-पौधों के महत्व, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में महाविद्यालय/संस्थान द्वारा माह जुलाई में विभिन्न प्रतियोगिताएँ यथा- विज, लेख, निबन्ध, पोस्टर, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाए और छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से कार्य कर सकें। ऐसा करने से वृक्षारोपण के कार्य में संलग्न छात्र/छात्राओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित होगा जो पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदना में वृद्धि करने में सहायक होगा।

कृपया उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा वृक्षारोपण की सूचना का प्रेषण उच्च शिक्षा विभाग एवं वन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोपरि,

भवदीय,

डॉ०(अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधिकारीगण।
2. समस्त वार्डन, महिला/पुरुष छात्रावास, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. कुलानुशासक, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों के लॉगिन पर तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. वैय० सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव